



सत्यमेव जयते

भारत सरकार / Government of India

वित्त मंत्रालय / Ministry of Finance

जीएसटी एवं एक्साइज आयुक्तालय :सूरत

GST & EXCISE COMMISSIONERATE : SURAT

CENTRAL EXCISE BUILDING, CHOWK BAZAR, SURAT-395001

Ph.0261-2462694, Email: rti-cgstsurat@outlook.com

फाईल सं : XIX/001/2017

सूरत, दिनांक :- ०८ .01.2018


सार्वजनिक सूचना सं. 04/2017

स्थापना आदेश संख्या 29/2017 दिनांक 29.12.2017 के फलस्वरूप , सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(i) (b) (xvii), धारा 5(i) और धारा 19(i) के प्रावधानों के अनुसार पत्रावली सं. III/001/2017 मे दिनांक 28.06.2017 को निर्गत स्थापना आदेश को संशोधित किया जाता है।

निम्नलिखित अधिकारियों को, जब तक अन्य कोई आदेश नहीं निकलता, तब तक तत्काल प्रभाव से जी एस टी एवं उत्पाद आयुक्तालय सूरत के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के रूप में पदनामित किया जाता है।

क्र.सं.	अधिकारी का नाम (श्री)	पदनाम	पता और दूरभाष नं.	क्षेत्राधिकार
1	आर. आर. रोहिल्ला, सहायक आयुक्त	केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी	भू तल, पुराना केन्द्रीय उत्पाद भवन, चौक बाजार , गांधी बाग के पास, सूरत-395001, दूरभाष :0261-2462284	जी एस टी एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय सूरत – II मंडल का क्षेत्राधिकार
2	जे. एस. राणा, सहायक आयुक्त	केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी	तीगरी मंजिल, समृद्धी भवन, मकई पुल, नानपुरा, सूरत- 395001, दूरभाष-0261-2471923	जी एस टी एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय सूरत –III मंडल का क्षेत्राधिकार

इस नोटिस को जनता के लिए नियुक्ति अधिसूचित करने के उद्देश्य से जारी किया गया है।


(वीरेन्द्र के. चौधरी)
आयुक्त

प्रतिलिपि: -

1. मुख्य आयुक्त, जी एस टी एवं उत्पाद, बडोदरा जोन, बडोदरा ।
2. आयुक्त, प्रचार एवं जन सम्पर्क निदेशालय, सीमा शुल्क, जी एस टी एवं उत्पाद, सी आर बिल्डिंग, आई पी स्टेट, नई दिल्ली ।
3. जी एस टी एवं उत्पाद, बडोदरा जोन के सभी आयुक्त ।
4. जी एस टी एवं उत्पाद सूरत आयुक्तालय के सभी मंडल ।
5. मेलिंग सूची के अनुसार सभी व्यापार संघ ।
6. सूचना पट्ट/वेबसाइट ।
7. गार्ड फाईल ।